दिनांक 16.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 27/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ–थाना क्षेत्र सहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहॉपुर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 15–11–2025 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को थाना क्षेत्र सहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहॉपुर में सहकारी समिति संघ के सरकारी कर्मचारी के साथ डकैती का सफल अनावरण करते हुए गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– रवि मिश्रा पुत्र धनपाल मिश्रा निवासी ग्राम हडहा मलकापुर थाना पाली जनपद हरदोई।

2– गोपाल उर्फ़ मनीष ठाकुर उर्फ़ ओविंदर पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम सपहा थाना अल्लाहगंज शाहजहापुर।

बरामदगीः–

1– 25,000/– रुपये नगद (डकैती की घटना में लूटी गयी धनराषि)

2– 02 अदद तमंचा 315 बोर

3– 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

4– 02 अदद मोबाइल फोन

5– 02 अदद खाद स्टाक रजिस्टर (डकैती की घटना में लूटा गया)

6– 01 अदद चेक बुक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (डकैती की घटना में लूटा गया)

7– 03 अदद सहकारी कृषक पंजिका (डकैती की घटना में लूटा गया)

8– 01 अदद फाइल सहकारी क्रय विक्रय समिति लिमिटेड के 48 अदद इ–बिल/इनवाईस (डकैती की घटना में लूटा गया)

9– 01 अदद घटना में प्रयुक्त स्कूटी– नंबर यूपी16 डीडब्लू 5203

गिरफ्तारी का स्थान–

दिनांक 15–11–2025 को समय करीब 22:46 बजे ग्राम चांदापुर के पास नागरपाल पुल से लगभग 50 मीटर पहले , थाना सहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहापुर।

एसटीएफ,उत्तर प्रदेश को विगत कुछ समय से हत्या, लूट, डकैती जैसी जघन्य घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ मुख्यालय लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में मु0आ0 रूद्र नारायण उपाध्याय, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, रवि वर्मा, विजय वर्मा की एक टीम जनपद शाहजहापुर में भ्रमणशील थी। इस संबध में सूचना प्राप्त हुई कि जनपद शाहजहॉपुर के सहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के सहकारी संघ लिमिटेड चांदापुर पर कार्यरत आदित्य कुमार सक्सेना के साथ दिनांक 06–11–2025 को लूट करने वाले गिरोह के 02 सदस्य घटना में प्रयुक्त स्कूटी से चांदापुर–नागरपाल पुल के पास मौजूद है, जिनके पास असलहे भी हो सकते है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त स्थान से दोनो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त रवि मिश्रा व गोपाल ठाकुर ने पूछतॉछ पर बताया कि इनका एक गिरोह है, जिसमें शाहजहॉपुर एवं आस–पास के जिलो के लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाएं करने वाले लोगों को शामिल करते है। यह लोग गिरोह के अन्य 06 सदस्यो के साथ मिलकर दिनांक 06–11–2025 की शाम को जनपद शाजहापुर के सहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के सहकारी संघ लिमिटेड चांदापुर पर कार्यरत आदित्य कुमार सक्सेना के साथ डकैती की घटना को अंजाम दिया था। उक्त घटना में मिले पैसे को आपस में बाटने एवं थाना शाहबाद जनपद हरदोई में किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे।

पूछताछ में अभियुक्तों ने पूर्व में की घटनाओं को भी बताया कि वर्ष 2022 में जनपद सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र में एक बैंक मित्र से रुपये लूट कर उसकी हत्या कर दिये थे, इस घटना में सीतापुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था, जिसमे इनके दोनों के पैर में गोली भी लगी थी। इनके द्वारा घटना करने की रेकी की जाती है, जिसके लूट, डकैती, हत्या जैसी घटनाओ को अंजाम दिया जाता है। घटना करने के बाद अन्य प्रदेशों में जाकर छुप जाते हैं। कुछ महीने बाद फिर वापस आकर लूटपाट की घटनाएं करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना सहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहापुर पर मु0अ0सं0 311/2025 धारा 310(2),317(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त रवि मिश्रा का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 407/2016 धारा 414 भारतीय दंड संहिता, 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 408/2016 धारा 401 भारतीय दंड संहिता, थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 398/2016 धारा 379/411, थाना सेक्टर 58, जनपद गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 412/16 धारा 4(25) आयुध अधिनियम, थाना मसूरी, जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 7528/17 धारा 392/411 भारतीय दंड संहिता , थाना ट्रांस हिंडन इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0 53/2022 धारा 120बी/302/394/504/506/411 भादवि, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर।
7. मु0अ0सं0 79/2022 धारा 307 भादवि, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
8. मु0अ0सं0 82/2022 धारा 25(1)ठ आयुध अधिनियम, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
9. मु0अ0सं0 135/2023 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
10. मु0अ0सं0 311/2025 धारा 310(2)/317(3) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहापुर
11. मु0अ0सं0 115/2025 धारा 115(2)/125/351(2) बीएनएस, थाना अल्लागंज जनपद शाहजहापुर।

अभियुक्त गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर का ज्ञात अपराधिक इतिहासः–

1–मु0अ0सं0 53/2022 धारा 120बी/302/394/504/506/411 भा0द0वि0, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर।

2–मु0अ0सं0 79/2022 धारा 307 भा0द0वि0, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर।

3–मु0अ0सं0 82/2022 धारा 25(1)B आयुध अधिनियम, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर।

4–मु0अ0सं0 135/2023 धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर।

5–मु0अ0सं0 311/2025 धारा 310(2)/317(3) भा0द0वि0, 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहापुर।

जनपद देवरिया/थाना खामपार

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना खामपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैयद अहसान अली उर्फ सानू उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना खामपार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खामपार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शैयद अहसान अली उर्फ सानू उर्फ छोटू निवासी गोडिला थाना शाहगंज जनपद जौनपुर।

जनपद मीरजापुर/थाना विन्ध्याचल

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध हेरोइन/स्मैक

• अवैध हेरोइन/स्मैक बिक्री के 25 हजार रूपये नगद

• 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 16-11-2025 को थाना विन्ध्याचल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छोटकी महुवरिया रेहड़ा पुल के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—राजदेव उर्फ रज्जे 2—राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध हेरोइन/स्मैक, अवैध हेरोइन/स्मैक बिक्री के 25 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजदेव उर्फ रज्जे निवासी गौरा थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

2–राहुल निवासी छोटकी महुवरिया थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 251 ग्राम अवैध हेरोइन/स्मैक।

2–अवैध हेरोइन/स्मैक बिक्री के 25 हजार रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

———————